

FROM-1

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No.

Dated: :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98 FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.87 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer PWD Division Khanpur in Jhalawar District for Construction of Road Taraj to Taradevi Temple falls within jurisdiction of Gram panchayat Taraj Village Taraj in Khanpur Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.87 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's has been given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.



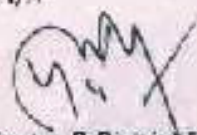
(Dr. Jitendra Kumar Soni)

**District Collector & District Magistrate
Jhalawar**

No.

Dated

Copy to the Executive Engineer P.W.D. Division Khanpur for N/A



**District Collector & District Magistrate
Jhalawar**

**जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की दिनांक 14.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे
आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण**

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की बैठक जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संलग्न सूचि के अनुसार पदाधिकारियों ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उप खण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सम्पर्क सड़क तारज से तारा देवी मंदिर के मार्ग में आ रही 0.87 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन (Diversification) हेतु सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा पाया गया की प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है ना ही वन क्षेत्र में कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने की अभिशप्ता की जाती है। साथ ही लोकायुक्त प्रकरण श्री कैलाशचन्द मेहर द्वारा प्रस्तुत परिवार को उप खण्ड स्तर से प्रस्तुत करने की अभिशप्ता की जाती है।

क्र. सं.	नाम उप खण्ड	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	खसरा नम्बर	डायवर्जन की भूमि हैक्टर में
1	खानपुर	तारज	तारज	1857	0.19
				1854	0.26
				1856	0.33
				1877	0.05
				1924	0.04
				कुल योग:-	0.87

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद झालावाड़

अति. उप वन संरक्षक
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक: एफ.22/वनाधिकारी अधिनियम/2017-18/2245-50 दिनांक: 11.11.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड़।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. उप खण्ड अधिकारी, खानपुर।
4. उप खण्ड अधिकारी, अरानावर को प्रस्तुत परिवार मूल ही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, खानपुर।
6. रक्षित पत्रावलि।

सदस्य सचिव

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड़

दिनांक 3¹²/17 को ब्लॉक स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम तारज ग्राम पंचायत तारज जिला आलावाड की बैठक हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्राक्धानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा न०	ग्राम पंचायत	ढायवर्जन की भूमि
1	तारज	1857	तारज	0.19
		1854		0.26
		1856		0.33
		1877		0.05
		1924		0.04
			कुल योग	0.87 हैक्टर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर


विकास अधिकारी
प.स. खा-पुर


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड खानपुर

दिनांक 02-10-17 को काम करीय वगार्थकार लार्जिंग ग्राज लार्ज ग्राज पंचायत लार्ज जिला झाबावड की वैक हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (लार्जिंगों की मान्यता) आर्थिकियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानोंसार वगार्थकारी का कोई दावा पश्चित अग्रण प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	अवतर्जन की भूमि
1	लार्ज	1857	लार्ज	0.19
		1854		0.26
		1856		0.33
		1877		0.05
		1924		0.04
			कुल योग	0.87 हेक्टर


ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत लार्ज
पं स खान्पर झाबावड

21/10/2017
परपत्र
पाम 10 लार्ज पं स खान्पर
जिला झाबावड। गवर्नर